उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार

*307. **चौधरी हरि सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की तहसील-माट के अन्तर्गत ग्राम अंदुआ में 1 मार्च, 1993 को अनुसूचित जाति के चार व्यक्तियों की हत्या करके उनके शवों को जबरदस्ती जला दिया गया और क्या उस ग्राम के ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों को भी जला दिया गया है

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त कांड के हत्यारों तथा घरों को जलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या उक्त दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है ; यदि हां, तो कितना ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 2-28-93 को गांव-अंदुआ, थाना मंथ, जिला मथुरा में जाट और जाटव समुदायों के बीच झगड़ा हुआ। इससे हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं, जिनमें जाटव (अनुसूचित जाति) समुदाय के दो व्यक्तियों को जला कर मार दिया गया और आगजनी और ध्वंस के कारण 6 मकानों को क्षति पहुंचायी गयी । उपरोक्त घटनाओं के संबंध में जाटव समुदाय द्वारा भा०दं०स० की धारा 147, 148, 149, 307, 436, 427, 302 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 की धारा 3(1) और 3(2) के अन्तर्गत एक आपराधिक मामला सं० 18-क/93 दर्ज कराया गया । जाट समुदाय द्वारा इसके विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 323/302 के अन्तर्गत एक मामला सं० 18/93 दर्ज कराया गया ।

दोनों मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है । जिन व्यक्तियों के नाम बताए गए तथा जाटव समुदाय की तरफ से दर्ज किए गए मामले की जांच पड़ताल के दौरान जो ध्यान में आए उन 41 अभियुक्त व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । शेष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । भा०दं०सं० की धारा 323, 302 के अंतर्गत दर्ज मामला सं० 18/93 के संबंध में बताये गए दो अभियुक्तों में से एक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति फरार है । उसे अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है ।

गांव में पी०ए०सी० की एक प्लाटून तैनात की गयी है । स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । झगड़े में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10,000/- रु० की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गयी है। तत्काल राहत के रूप में अनुसूचित जाति के 18 परिवारों को 11,434 रु० की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गयी ।

Natural Pipeline Gas Connection to Industrial Unit in Mehsana District

*308. SHRI GOPAL SINK G. SOLANKI: Will the Minister of PETRO-LEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the number of applications considered for release of pipeline gas to industrial units in Mehsana District during the last three yeans;

(b) what is the number of connections released out of them on priority/out of turn basis and on VIP recommenda-, tions and what ere the reasons that the priority lists have been left-out; the names of indutrial units connected with natural-pipeline gas in Mehsana District; and

(c) what is the target set for release of new industrial commercial natural pipeline gas in next five years, year-wise in Mehsana District?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL, GAS (CAPT. SAT-ISH SHARMA): (a) and (b) Over 60 request (or gas allocations in Mehsana